न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौमू (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– हिम्मत सिंह

मु.न. 65/2019

उनवान

1. छोटी देवी पत्नि बद्रीप्रसाद,
2. झुमा पत्नी शिवपाल
3. बद्रीप्रसाद पुत्र रामलाल
4. बनवारी पुत्र कालूराम
5. शिवपाल पुत्र कालूराम
6. सजना पत्नी बनवारी

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम हरदरामपुरा खेजरोली तहसील चौमूँ जिला जयपुर (राज.)।

बनाम

1. घीसी देवी पत्नी रूडाराम
2. भींवाराम पुत्र रूडाराम
3. म्दनलाल पुत्र रूड़ाराम
4. सुवाराम पुत्र रूडाराम
5. अशोक पुत्र रिछपाल
6. घनश्याम पुत्र घीसा
7. चौथमल पुत्र मुरली
8. प्रेमदेवी पत्नी रिछपाल
9. प्रहलाद पुत्र घीसा
10. बबीता पुत्र रिछपाल
11. भागा पुत्र गोदा
12. मनोज पुत्र रिछपाल
13. ममता पुत्री रिछपाल
14. महेष पुत्र मुरली
15. शिवराम पुत्र घीसा
16. हनुमान पुत्र मुरली
    समस्त जाति जाट,निवासी ग्राम हरदरामपुरा, खेजरोली, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
17. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूँ जिला जयपुर (राज.)
18. जयपुर थार ग्रामीण बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा खेजरोली, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
19. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (हाल स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया) जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा खेजरोली, तहसील चौमें, जिला जयपुर।
20. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा चौमें, तहसील चौमूँ जिला जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूँ जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0 एक्ट

निर्णय दिनांकः– 29.11.2019

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी ने निवेदन किया है कि वाके ग्राम हरदरामपुरा,पटवार हल्का खेजरोली बी. तहसील चोमू, जिला जयपुर में स्थित भूमि हाल खाता संख्या 116 के हाल खसरा नम्बर 137 रकबा 1.32 हैक्टेयर, खाता संख्या 212 के हाल खसरा नम्बर 1639 रकबा 3.70 कुल किता 1 का कुल रकबा 3.70 हैक्टेयर प्रार्थी की भूमि निहित हैं।

प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चोमू के आदेष से दिनांक 29.05.2019 को श्रीमान तहसीलदार चोमू के आदेष कमांक/भू0अ0/सीमाज्ञान/2019/1957 दिनांक 22.05.2019 की पालना में ग्राम हरदरामपुरा पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पहुंच कर उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष खसरा नम्बर 1628/8073, 2190 में स्थित गैर मुमकिन चाह को आधार मानकर जरीब चलाकर सीमा नापकर सभी पक्षकारान को समझाई गई तथा सीमाज्ञान की रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर करवाये गये थे, जिस सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी अपनी खसरा नम्बर 1637 एवं 1639 की भूमि वर्णित मद नम्बर 1 की पत्थरगढी करवाना चाहता हैं जिस हेतु न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ।

प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थी की हिस्से की खातेदारी भूमि हैं, जिसकी पत्थरगढी करवाया जाना न्यायहित में आवष्यक हैं, किन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 16 प्रार्थी को उसके कब्जेषुदा एवं स्वामित्व की भूमि का प्रार्थना पत्र में वर्णित की पत्थरगढी नहीं करवाने दे रहे है तथा उक्त अप्रार्थीगण प्रार्थी के पडौसी खातेदार व्यक्ति हैं, जिस कारण यदि पत्थरगढी के आदेष माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किये जाते है तो इससे किसी पक्षकार को कोई हानि नहीं होगी तथा प्रार्थी अपने कब्जे शुदा स्वामित्व की भूमि का स्पष्ट सीमांकन करवाकर उपयोग उपभोग कर सकेगा।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेष कर निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी के आदेष फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों को सुना गया। पत्रावली, प्रार्थना पत्र, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 ता 16 बावजूद तामिल अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी आवेदित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काष्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 22.05.2019 को पटवारी हल्का हरदरामपुरा द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 22.05.2019 के अनुसार

चौमू, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

उभयपक्षकारों को सूचित करते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.01.27 16:47:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: